(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 258-दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-8-13 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 346/अपील/2012-13.

ग्रीन कॉटेज एवं रेसोर्टस लिमिटेड
पता लक्ष्मी भवन, एस.वी.पी. रोड
अपेरा हाउस, मुंबई तर्फे डायरेक्टर
सचिन शर्मा पिता सुरेश शर्मा
निवासी 29 यूनाईटेड चेम्बर
ग्रांट रोड, मुंबई-7 .....आवेदक

विरूद्ध

1. रामचरण पिता हीरालाल
2. जुगल पिता मोहनलाल
3. राजेश पिता मोहनलाल
4. नर्मदा पिता मोहनलाल
5. पवित्राबाई पति मोहनलाल
   क्रमांक 2 से 5 समस्त उत्तराधिकारीगण
   मृतक मोहनलाल पिता हीरालाल
   निवासीगण ग्राम बिजलपुर
   तहसील व जिला इंदौर
6. विष्णु पिता हीरालाल
7. अशोक पिता हीरालाल
8. शंकर पिता हीरालाल
   निवासीगण ग्राम बिजलपुर
   तहसील व जिला इंदौर
9. रामकुंवरबाई उर्फ रामोबाई पिता हीरालाल
10. गीताबाई पिता हीरालाल
    निवासीगण ग्राम पिपल्याहाना
    तहसील व जिला इंदौर
11. नारायण पिता अंबाराम
    निवासी ग्राम बिजलपुर
    तहसील व जिला इंदौर
12. संगीताबाई पति सतीश

13. मास्टर अमन पिता सतीश
14. कु. शीतल पिता सतीश
    क्रमांक 13 व 14 अव्यस्क के
    पालनकर्ता माता संगीताबाई
    निवासीगण ग्राम केसरीपुरा
    तहसील सांवेर जिला इंदौर
15. लीलालबाई बेवा अम्बाराम
    निवासी ग्राम बिजलपुर
    तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-8-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय, अधिकारी, इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 87/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 4-2-2013 के विरूद्ध आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष दिनांक 4-6-2013 को लगभग दो माह से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 346/अपील/2012-13 दर्ज कर दिनांक 13-8-13 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाधित होने से अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अत: प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों एवं अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय का वादग्रस्त आदेश विधि विधान तथा न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) वादग्रस्त आदेश जो पुनर्विलोकन द्वारा किया गया है, विधि की दृष्टि से वैसे ही शून्य था, क्योंकि उक्त आदेश वरिष्ठ न्यायालय के निर्देश, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि अपीलीय न्यायालय बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश में कोई परिवर्तन नहीं करेगा । अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण निर्देश का पालन नहीं करते हुए, जो वादग्रस्त आदेश पारित किया था वह विधि की दृष्टि से अपने आप में शून्य था, जिसके लिए अवधि का प्रश्न ही नहीं था

और अपीलीय न्यायालय के उक्त आदेश को संहिता की धारा 32 के अधिकारों का उपयोग करते हुए निरस्त किया जा सकता था, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्य पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा आदेश में 68 दिन अवधि बाह्य होना बताया गया है, जबकि मात्र चार दिन, जो कि प्रतिलिपि तैयार होने के बावजूद नहीं दिये जाने के कारण हुई है । जहां तक अवधि का प्रश्न है, आवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया था, जिसके खण्डन में अनावेदक पक्ष द्वारा कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया है । वादग्रस्त आदेश प्रारंभ से शून्य था, अत: उक्त आदेश स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया जा सकता था, किन्तु ऐसा नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक त्रुटि की गई है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर आवेदक को पुन: सुनवाई का अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 4-2-13 द्वारा जो संशोधन किया है, वह आवेदक को सुने बिना किया है, जिस पर अपर आयुक्त द्वारा बिना विचार किये आवेदक की अपील समय बाह्य मानने में त्रुटि की गई है । अत: प्रकरण अपर आयुक्त को समय-सीमा में ग्राह्य कर गुण-दोष के आधार पर निराकरण हेतु भेजा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर